मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर

02

पत्र सं: 1एटी/संरक्षा/संरक्षा परिपत्र/02/2025 दिनांक 17.02.2025

सभी अधिकारी जोधपुर। सभी स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, रेल पथ निरीक्षक, संकेत निरीक्षक, मुख्य गाड़ी निरीक्षक/सवमा, जोधपुर मंडल। मुख्य नियंत्रक कन्ट्रोल, मुख्य केरेज नियंत्रक, मुख्य लोको नियंत्रक, मुख्य विद्युत नियंत्रक, मुख्य दूर संचार नियंत्रक, मुख्य रेलपथ नियंत्रक ओधपुर । प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, स.मा. प्रशिक्षक जोधपुर। रेलपथ प्रशिक्षक जोधपुर गार्ड व चालक फाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़ता रोड, समदड़ी एवं प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केन्द्र भगत की कोठी।

मं.संरक्षा परिपत्र - 02/2025

विषय :ट्रैक मशीन संचालन सम्बंधी नियम ।

ट्रैक मशीन संचालन के समय JE/TMC ("ऑन ट्रेक टाई टेम्पर का ऑपरेटर) निम्न नियमों का पालन करेंगे -

1. ट्रेक मशीन संचालन करने के लिए मशीन आपरटेर के पास सक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
2. ट्रेक मशीन ऑपरेटर परिचालन एवं रनिंग के लिए उत्तरदायी होंगे तथा लोको पायलटों के लिए निर्धारित गाड़ी संचालन नियमों में प्राथमिक प्रशिक्षण/ पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम के कार्यक्रम का पालन करेंगे ।
3. ट्रैक मशीन ऑपरेटर के पास रेल्वे डॉक्टर द्वारा जारी ए-3 चिकित्सा कोटि में चिकित्सा फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
4. ट्रेक मशीन ऑपरेटर के पास संबन्धित सेक्शन का सिग्नल चार्ट एवं दायीं तरफ लगे सिग्नलों का चार्ट होना चाहिए ।
5. ट्रेक मशीन ऑपरेटर को जिस सेक्शन में कार्य करना है उस सेक्शन का उचित LR होना चाहिए ।
6. मशीन को स्टेशन से स्टार्ट करने से पूर्व मशीन आपरटेर को स्टेशन मास्टर से संबन्धित सेक्शन का काशन ऑर्डर प्राप्त कर लेना चाहिए ।
7. मशीन आपरटेर द्वारा मशीन को स्टेशन से उचित प्रस्थान प्राधिकार मिलने पर ही स्टार्ट करना चाहिए एवं दिये गए सिग्नल को ठीक प्रकार जांच लेना चाहिए कि वो उसी की मशीन के लिए दिया गया है या नहीं।
8. सिग्नल लाल अवस्था में मिलने पर मशीन आपरटेर द्वारा मशीन को लाल सिग्नल से पहले उचित दूरी पर खड़ा करना चाहिए ।
9. ट्रेक मशीन पर उपलब्ध अग्निशामक यंत्र कार्यशील, तथा ओवर ड्यू नहीं, होने चाहिए।
10. ट्रेक मशीन कार्य करते समय सबसे पीछे LV बोर्ड/टेल लॅप लगा होना चाहिए।
11. ट्रेक मशीन ऑपरेटर के पास समान्य एवं सहायक नियम तथा दुर्घटना नियमावली, वर्किंग टाइम टेबल, ट्रेक मशीन नियमावली, लाल & हरी झंडियों, ट्राई कलर टॉर्च आदि एवं अन्य जरूरी संबन्धित सामान होना चाहिए।

वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रति :- मं.रे.प्रबन्धक व अ.मं.रे. प्रबन्धक को सादर सूचनार्थ

Scanned with OKEN Scanner